11.41.4 वकील पक्षकार और सरकार द्वारा 10 CPC व धारा 151 CPC के अन्तर्गत अवकाश दिया गया था जबकि वाद 14.5.4 को पेश है।

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]

14.5.4 वकील पक्षकार संबंध

वकील वादी व वादी द्वारा मिसल तकरीब जब्त पेशाब्ते का जवाबी पेश हुई वादी द्वारा पक्षकार के सजीनामा होने के कारण आगे नहीं चलाना चाहते व प्रकाश कविया द्वारा अवमानना लीला चार के प्रार्थना वादी लीला किया गया है प्रकाश कड़ वादी खारिज किया गया है जबकि मौसल हुआ होना नहीं के कारण से तथा कई तकनीक कार्यवाही गया उचित समझा है निर्णय आज दि 14.5.4 को हुकमे आमतौर में हुआ था।

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]

Scanned by CamScanner